राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/9541 दिनांक :– 18/12/14

आदेश

सां.आ. 104/2014– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58, के उपनियम (5) के साथ पठित नियम 35 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मतदान मशीनों द्वारा मतों को दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी पंचायती राज संस्था में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें। अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त नियम 35 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारां, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं टोंक जिलों की जिला परिषद सदस्यों एवं समस्त पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहाँ माह जनवरी–फरवरी, 2015 में होने वाले निर्वाचन में मत, मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश बसवाला) 18/12/14
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/9542–46 जयपुर, दिनांक 18/12/14
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
2. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी उपलब्ध करावें।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को राजपत्र के विशेषांक भाग 6 (ग) में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 20 प्रतियाँ आयोग को उपलब्ध करावें।
4. कम्प्यूटर शाखा को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई–मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

18.12.2014
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

F:\Panchayat\2015 & After\2015\F. 1(2)(1)NP_PE 2014 Statuary Orders.doc
15